

प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर निगम की कार्यवाही निरंतर जारी
(निगम अमले ने अब तक लगाया 01 लाख 25 हजार रु. का अर्थदण्ड)



कोरबा 28 जुलाई 2021 –प्लास्टिक कैरीबैग एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित अन्य सामग्री के उपयोग पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, निगम अमले ने अब तक इस पर कार्यवाही करते हुए 01 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया तथा दुकानदारों, व्यवसायियों को समझाईश दी कि वे प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक डिस्पोजल एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग अपने संस्थानों में न करें।

यहां उल्लेखनीय है कि शासन ने निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक एवं उससे बनी सामग्री के निर्माण, भण्डारण व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण, साफ-सफाई एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निगम द्वारा कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त

करने के लिए प्लास्टिक फ्री कोरबा का लक्ष्य रखा गया है, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने विगत दिनों नगर के विभिन्न व्यापारी संघों व चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक लेकर दुकानों व प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग व इससे संबंधित अन्य सामग्री का उपयोग न करने का अनुरोध किया था, विभिन्न व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों ने निगम की इस पहल का स्वागत करते हुए, इस पर अपनी सहमति जताई थी। किन्तु अभी भी दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का विक्रय व उपयोग हो रहा है, जिस पर निगम अमला निरंतर कार्यवाही कर रहा है, विगत माह से अधिक समय से की जा रही इस कार्यवाही के दौरान निगम अमले ने अब तक 01 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है तथा दुकानदारों को समझाईश दी है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल आदि का विक्रय व उपयोग न करें।

कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त करने सहयोग दें— आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने व्यापारीबंधुओं , दुकानदारों से पुनः अपील करते हुए कहा है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक डिस्पोजल सहित अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करें, इसके स्थान पर कपड़े व जूट के बने थैले, कागज के लिफाफे व अन्य वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। उन्होंने व्यापारीबंधुओं से कहा है कि वे ग्राहकों को प्रेरित करें कि वे बाजार जाते समय कपड़े, जूट आदि के थैले साथ में लेकर जाएं, व्यापारीबंधु अपनी दुकानों में भी कपड़े, जूट आदि के थैले रखें तथा ग्राहकों की सुविधा व उनकी मांग पर वाजिब दाम में उन्हें उपलब्ध कराएं। आयुक्त श्री शर्मा ने आमनागरिकों से भी अपील की है कि वे बाजार जाते समय कपड़े व जूट के थैले साथ में रखे, दुकानदारों से प्लास्टिक कैरीबैग आदि की मांग न करें तथा कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु निगम द्वारा चलाए जा रहे “ प्लास्टिक फ्री कोरबा ” अभियान में अपना सहयोग दें।